Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 9, Issue 2 | November 2021 - April 2022 | pp. 45-51

# मानवाधिकार और भारत का संविधान

**अरुणा शर्मा**

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

**शोध सारांश**

*'मानवाधिकार' आज अन्तरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरोकार का विषय है। भारत में भी वैदिक काल से लेकर संविधान निर्माण तक मानवाधिकार किसी न किसी रूप में सर्वदा मौजूद रहे हैं। मानवाधिकारों के अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों एवं भारत के संविधान के भाग-3 (मूल अधिकार) तथा भाग-4 (नीति-निर्देशक तत्व) के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान में व्यापक रूप से सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति के मानवाधिकारों का प्रावधान किया गया है परन्तु यथार्थ जीवन में मानवाधिकारों की दृष्टि से हमारे देश में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। मूल अधिकारों की संवैधानिक गारण्टी व न्यायिक संरक्षण के बावजूद भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक प्रकृति के अनेक मानवाधिकार आज तक भी लागू नहीं हो पाए हैं। देश में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी, जनचेतना का अभाव तथा पुलिस एवं प्रशासन की असंवदेनशीलता मानवाधिकारों के प्रवर्तन में व्यावहारिक अवरोधक बने हुए हैं। यद्यपि मानवाधिकारों को उपलब्ध करवाने में भारतीय न्यायपालिका एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका सराहनीय रही है तथापि मानवाधिकारों को साकार करने के लिए सभी को इनकी संप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधिक सभी स्तरों पर अधिक गम्भीर एवं सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।*

**संकेताक्षर—** *मानवाधिकार, सार्वभौमिक घोषणा, प्रसंविदा मूल अधिकार, नीति-निर्देशक तत्व*

## प्रस्तावना

'मानव अधिकार' अन्तरराष्ट्रीय बौद्धिक, विधिक एवं राजनीतिक व्यवस्था तथा मानव समुदाय की सामाजिक संरचना का बहुचर्चित मुद्दा एवं बहुविचारित अवधारणा है जिसका प्रत्यक्ष सरोकार 'मानव मात्र से है। यह अवधारणा व्यक्ति को देश, काल, रंग, जाति, वर्ग, लिंग के भेदभावों से इतर केवल मानव के रूप में देखती है और व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा को महिमा मण्डित करती है। सामान्यत: वे सभी अधिकार, जो गरिमामय जीवन एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु केवल मानव होने के नाते सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं।

आर.जे. विसेंट के अनुसार, 'मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।'[1]

प्लानो और ओल्टन के विचार में, 'मानव अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के जीवन, उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं।'[2]

## भारत में मानव अधिकारों का विकास

भारत के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार नवीन अवधारणा कतई नहीं है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सर्वेभवन्तु सुखिन: सर्वेसन्तु निरामया' की सार्वभौमिक विशेषताओं में मानवाधिकार हमेशा मौजूद रहे हैं। भारत

की सभ्यता में धर्म की अवधारणा में ही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानव अधिकारों पर विचार किया गया था। भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद, और उसके बाद अथर्ववेद तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न मानवाधिकारों एवं स्वतत्रंताओं के प्रच्छन्न रूप मिलते हैं। ऋग्वेद में समता को स्वीकार करते हुए कहा गया है,

**'अज्येष्ठासो अकन्ठास एते।**

**सं भ्रातरो वावृधः सौभाग्य।'**

अर्थात् सभी लोग समान है। कोई उच्च या निम्न नहीं है। सभी को सभी के हितों के लिए प्रयत्न करना चाहिए और सभी को सामूहिक रूप से प्रोन्नति करनी चाहिए। अथर्ववेद के समाज्ञान सूक्त में भोजन एवं जल में सभी को समान अधिकार की बात कही गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रजा के हित में ही राजा का हित माना गया है एवं प्रजा के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक कल्याण का विस्तृत विधान इस ग्रन्थ में उपलब्ध है। 'महाभारत' का तो सूत्र वाक्य ही है कि 'मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है।' सम्राट अशोक का राजदर्शन भी दया मानवता, प्रेम के मानवीय सिद्धान्तों पर बल देता था। मुगल सम्राट अकबर एवं जहाँगीर की न्यायप्रियता भी इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है।[3]

भारत में धार्मिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मानवाधिकार निरन्तर रूप से विकसित होते रहे हैं तथापि उत्तर वैदिक कालीन जन्म आधारित वर्ण-व्यवस्था एवं मध्ययुगीन मुस्लिम शासकों की आक्रामकता ने शोषण, असमानता व अन्याय को जन्म देकर मानवाधिकारों को आघात पहुँचाया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की अत्याचारपूर्ण नीतियों ने व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों को क्षत-विक्षत किया। आधुनिक युग में मध्यकाल के शोषण व सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुए। सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने मानवीय गरिमा को स्थापित करने में महत्ती भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्व के अन्य सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर भारत के नेताओं ने 1928 की नेहरू रिपोर्ट में तथा कराची प्रस्ताव (कांग्रेस अधिवेशन) 1931 में मानव अधिकारों का समावेश था।[4]

भारत के संविधान निर्माण के समय मानव मूल्यों का पर्याप्त प्रसार हो चुका था और विश्व भर में मानवाधिकार को लेकर आन्दोलनात्मक हलचल प्रारंभ हो गई थी। अतः भारत के संविधान में भी व्यापक रूप से विभिन्न नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मानवाधिकारों का क्रमशः संविधान के भाग-3 एवं भाग-4 में प्रावधान किया गया है।

## भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मानव अधिकार

भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही संविधान का सारांश है। यह संविधान के दो तत्व स्पष्ट करती है—शासन व्यवस्था का उद्देश्य एवं इसका स्वरूप। भारतीय संविधान एक जनतांत्रिक रूप से निर्मित सरकार की व्यवस्था ही नहीं, वरन एक जनतांत्रिक शासन प्रणाली एवं जनतांत्रिक जीवन पद्धति का प्रतिबिम्ब भी है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारत की ''पूर्ण सत्ताधारी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य'' की अवधारणा सामाजिक न्याय, समानता एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना का मूल स्वर उदारवादी है यद्यपि इसमें समाजवादी स्वर भी पृष्ठभूमि में कहीं-कहीं छिपा पड़ा हैं। मानव अधिकारों के आधार स्तंभ-स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानव गरिमा व प्रतिष्ठा जैसे मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्टतः उल्लिखित हैं।[5]

## मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और भारत का संविधान

'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' जिसे 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकृत किया गया, मानवाधिकारों के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सार्वभौमिक घोषणा में सिविल व राजनैतिक अधिकारों के साथ ही साथ आर्थिक व सामाजिक अधिकारों को प्रावधानित किया गया है। भारत ने भी सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे तथा 26 जनवरी 1950 से लागू भारतीय संविधान को घोषणा ने बहुत अधिक प्रभावित किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा भारतीय संविधान में दिए गए मानवाधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन अग्रलिखित तालिका में किया जा सकता है—

**सारणी 1 : मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा भारतीय संविधान में प्रदत्त मानवाधिकारों का तुलनात्मक विवरण**

| क्रम | अधिकार | मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की धाराएँ | भारतीय संविधान की धाराएँ |
|---|---|---|---|
| 1. | कानून के समक्ष समानता | 7 | 14 |
| 2. | वर्ग, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव न करना | 2(1) | 15 |
| 3. | सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के अवसर की समानता | 21(2) | 16(1) |
| 4. | अभिव्यक्ति, बैठक करने, शांतिपूर्वक सभा करने, संघ बनाने, आने-जाने तथा बसने की स्वतंत्रता | 13, 19, 20, (1, 2) | 19 |
| 5. | दोषसिद्ध होने तक निर्दोष मानना, तथा घटना के समय किसी काम के अपराध न घोषित होने के मामले में दण्ड के विरुद्ध सुरक्षा | 11 (1, 2) | 20(1) |
| 6. | जीने का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता | 3, 9 | 21 |
| 7. | गुलामी, दास व्यापार तथा किसी रूप में परतंत्रता का निषेध | 4 | 23(1) |
| 8. | विचार, अन्त:करण एवं धर्म की स्वतंत्रता तथा उन्हें खुले आम या निजी रूप में व्यक्त करना | 18 | 25(1) |
| 9. | अल्पसंख्यकों का संरक्षण | 22 | 29(1) |
| 10. | अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक गारंटी | 8 | 32, 226 |
| 11. | प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार | 15 | 5 |
| 12. | सार्वभौमिक एवं समान मताधिकार के आधार पर आयोजित चुनावों में व्यक्त जनता की इच्छा सरकार की सत्ता का आधार | 21 (3) | 226 |
| 13. | प्रताड़ना (मनमानी गिरफ्तारी) के विरुद्ध प्रावधान | 9 | 22 |
| 14. | स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायापालिका द्वारा निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई | 10 | 39क |
| 15. | संपत्ति का अधिकार | 17 | 300ए |
| 16. | शिक्षा का अधिकार | 26 | 21ए, 45 |
| 17. | शासन में प्रत्यक्ष या प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में सरकार चुनने का अधिकार | 21(1) | 325 |
| 18. | काम का अधिकार तथ न्यायप्रद एवं सही पारिश्रमिक पाने का अधिकार तथा बेरोजगारी की सुरक्षा | 23 | 39(ए), 41, 43 |
| 19. | सामाजिक सुरक्षा का अधिकार तथा व्यक्ति के विकास हेतु आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार | 22 | 38(1) |

| क्रम | अधिकार | मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की धाराएँ | भारतीय संविधान की धाराएँ |
|---|---|---|---|
| 20. | स्त्री-पुरुषों को समान पारिश्रमिक का अधिकार | 23(2) | 39(डी) |
| 21. | श्रमिक संघ बनाने तथा उसमें सम्मिलित होने का अधिकार | 23(4) | 19(1) |
| 22. | विश्राम एवं अवकाश का अधिकार (काम के उचित घण्टे एवं संवेतन अवकाश) | 24 | 43 |
| 23. | स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा हेतु उचित जीवन-स्तर तथा बेरोजगारी,मातृत्व, बचपन, अशक्तता, वृद्धावस्था, विधवापन एवं आजीविका के अभाव में सुरक्षा का अधिकार | 25 | 21 में भोजन का अधिकार निहित 39-च, 42, 47 |
| 24. | समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनंद उठाने, वैज्ञानिक प्रगति के लाभों में हिस्सेदारी का अधिकार | 27 | 51(क) |
| 25. | ऐसी सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार जिससे इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों को पूर्णत: साकार किया जा सके | 28 | 38, 51 |

उपर्युक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' में वर्णित अधिकतर मानवाधिकार भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं (भाग-3, 4 एवं 4क, 226, 300क, 325, 326, 330, 331) में शामिल किए गए हैं, मगर जहाँ भाग-3 में वर्णित मूलाधिकारों के उल्लंघन पर किसी नागरिक को न्यायालय में याचिका दायर करके उसके प्रतिकार का अधिकार है, वही ऐसा प्रावधान भाग-4, 4क तथा अन्य धाराओं को लागू करने के लिए नहीं है।[7] तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माता घोषणा के प्रावधानों के प्रति सचेष्ट थे और इसलिए उन्होंने इसके प्रावधानों को सम्यक मान्यता प्रदान की।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सामान्य मानक को नियत करती है। इसके प्रावधान राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। अत: मानवाधिकारों के क्रियान्वयन को साकार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पक्षकार राज्यों पर आबद्धकारी दस्तावेज के रूप में 16 दिसम्बर 1966 को दो प्रसंविदाओं—सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को अंगीकार किया।

## सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा तथा भारतीय संविधान

भारत के संविधान के भाग-3 में व्यक्तियों के लिए बहुत से अधिकारों का प्रावधान किया गया है जिन्हें 'मूलाधिकार' कहा गया है। इन मूल अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा में व्यक्तियों को प्रदत्त मानवाधिकारों से तुलना की दृष्टि से मूलाधिकारों को दो कोटियों में विभाजित किया जाता है—विनिर्दिष्ट मूलाधिकार एवं अन्य मूलाधिकार। विनिर्दिष्ट इस अर्थ में है कि इनका संविधान में नाम के द्वारा उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित तालिका प्रसंविदा और भारतीय संविधान के ऐसे विभिन्न अनुच्छेदों को स्पष्ट करती है जहाँ समान अधिकार नियत किए गए हैं—

**सारणी 2 : सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा तथा भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों का तुलनात्मक विवरण**

| क्र. सं | अधिकार | सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा | भारतीय संविधान |
|---|---|---|---|
| 1 | बलात् श्रम | अनुच्छेद 8(3) | अनुच्छेद 23 |
| 2 | विधि के समक्ष समानता | अनुच्छेद 14(1) | अनुच्छेद 14 |
| 3 | भेदभाव का प्रतिषेध | अनुच्छेद 26 | अनुच्छेद 15 |
| 4 | लोकसेवा के अवसर की समानता | अनुच्छेद 25(ग) | अनुच्छेद 16(1) |
| 5 | भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 19(1)1(2) | अनुच्छेद 19(1)(ए) |
| 6 | शांतिपूर्ण सभा का अधिकार | अनुच्छेद 21 | अनुच्छेद 19(1)(बी) |
| 7 | स्वतंत्रता व संगठन का अधिकार | अनुच्छेद 22(1) | अनुच्छेद 19(1)(सी) |
| 8 | किसी राज्य के क्षेत्र के भीतर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण का अधिकार | अनुच्छेद 12(1) | अनुच्छेद 19(1)(डी)(ई) |
| 9 | अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने से संरक्षण | अनुच्छेद 15(1) | अनुच्छेद 20(1) |
| 10 | अभियोजन एवं दण्ड से संरक्षण | अनुच्छेद 14(7) | अनुच्छेद 20(2) |
| 11 | अपने ही विरुद्ध परिसाक्ष्य के लिए विवश न किया जाना | अनुच्छेद 14(3)(जी) | अनुच्छेद 20(3) |
| 12 | प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार | अनुच्छेद 16(1)व 9(1) | अनुच्छेद 21 |
| 13 | अन्त:करण एवं धर्म की स्वतंत्रता | अनुच्छेद 18(1) | अनुच्छेद 25 |

सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा में प्रावधानित कई अधिकार भारत द्वारा इसका समर्थन किये जाने के पहले से ही संविधान द्वारा व्यक्तियों को उपलब्ध थे। फिर भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिविल एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा में अन्तर्विष्ट किये गए हैं तथा जो भारत के नागरिकों को संविधान में विनिर्दिष्ट रूप में उल्लिखित न किए जाने के बावजूद भी उपलब्ध है। यथा—एकान्तता का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, त्वरित विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, कैदियों के साथ मानवता का व्यवहार किए जाने का अधिकार, प्रतिकर का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि। इन अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट मूलाधिकारों के अर्थ एवं विस्तार में वृद्धि करते हुए मूलाधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है।[9]

## आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा और भारत का संविधान

सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों के साथ ही साथ आर्थिक व सामाजिक अधिकार भी मानव अधिकारों का अभिन्न अंग है क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों के उपभोग के बिना सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति असम्भव है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा के परिकल्पित अनेक अधिकारों को भारत के संविधान के भाग-4 में निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है जो अग्रलिखित तालिका में स्पष्ट हैं—

**सारणी 3 : आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा एवं भारत का संविधान**

| क्र. सं. | अधिकार | आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा | भारत का संविधान |
|---|---|---|---|
| 1 | समान कार्य के लिए समान वेतन | अनुच्छेद 7(क)(1) | अनुच्छेद 39(डी) |
| 2 | सुरक्षित एवं अनुकूल दशायें | अनुच्छेद 7(बी) | अनुच्छेद 42 |
| 3 | काम का अधिकार | अनुच्छेद 6(1) | अनुच्छेद 41 |

| क्र. सं. | अधिकार | आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा | भारत का संविधान |
|---|---|---|---|
| 4 | प्रसूति सुविधा | अनुच्छेद 10(2) | अनुच्छेद 42 |
| 5 | बच्चों का अवसर | अनुच्छेद 10(3) | अनुच्छेद 39(एफ) |
| 6 | बच्चों को अनिवार्य शिक्षा | अनुच्छेद 13(2)(ए) | अनुच्छेद 45 |
| 7 | जीविका के लिए मजदूरी | अनुच्छेद 7(ए)(1) | अनुच्छेद 43 |
| 8 | कार्य की दशायें | अनुच्छेद 7(डी) | अनुच्छेद 42 |
| 9 | जीवन का उपयुक्त स्तर | अनुच्छेद 11 | अनुच्छेद 47 |
| 10 | शिक्षा का अधिकार | अनुच्छेद 13(ए) | अनुच्छेद 21(ए) |

इस प्रकार संविधान के भाग-4 में उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रकृति वाले मानव अधिकार न्यायालयों के समक्ष प्रवर्तनीय नहीं हैं किन्तु नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधानित कुछ अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार कहा गया है तथा उच्चतम न्यायालय ने संविधान के भाग III में उल्लिखित विनिर्दिष्ट मूलाधिकारों के क्षेत्र का विस्तार कर उसमें शामिल कर दिया है। उदाहरणार्थ समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी लाभ का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, भोजन का अधिकार आदि।[10]

## भारत में मानवाधिकारों की स्थिति एवं सुझाव

भारत के संविधान में सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रकृति के विविध मानवाधिकारों को पर्याप्त रूप से अन्तर्विष्ट किया गया है। तथापि व्यवहार के धरातल पर इन संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन प्रभावशाली रूप में नहीं हो पाया है। प्रथमतया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रकृति वाले मानवाधिकार नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल हैं जो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होने के कारण वास्तविक क्रियान्विति से वंचित है। वहीं मूल अधिकारों में निहित मानवाधिकारों की संवैधानिक गारण्टी व न्यायिक संरक्षण के बावजूद भारत के गरीब, अशिक्षित एवं कमजोर वर्ग अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, विधियों की अनभिज्ञता एवं संसाधनों की कमी, प्रशासनिक असंवेदनशीलता के कारण सदियों से इन अधिकारों से वंचित है। भारत में मानवाधिकारों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। व्यावहारिक जीवन में मॉबलिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय संघर्ष, धार्मिक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, बाल शोषण व हिंसा, महिला उत्पीड़न के रूप में मानवाधिकार हनन के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। अत: संविधान में प्रावधानित विभिन्न मानवाधिकारों की आम आदमी तक वास्तविक संप्राप्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

- जनचेतना एवं विधिक जागरूकता विकसित करना।
- मानवाधिकार शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- मानवाधिकारों की शीर्ष संरक्षक संस्था 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को संवैधानिक दर्जा देना एवं आयोग के पास बाध्यकारी शक्तियों व स्वयं का प्रवर्तन तंत्र विकसित करना
- प्रशासनिक न्यायिक व विधिक तंत्र को लालफीताशाही, नौकरशाही की कार्यशैली से मुक्त कर अधिक सक्रिय, पारदर्शी एवं संवेदनशील बनाना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति के मानवाधिकारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर इन्हें प्रवर्तन में लाना
- कुछ ऐसे अधिकार जो प्रसंविदा में उल्लिखित हैं परन्तु भारत के संविधान में प्रावधानित नहीं है (यथा— दासता या दासत्व के विरुद्ध अधिकार, यातना अथवा क्रूर, अमानवीय व्यवहार अथवा दण्ड के विरुद्ध अधिकार)उन्हें संविधान में पर्याप्त संशोधन एवं विधियों के उचित अधिनियमन द्वारा संविधान में शामिल किया जाना और प्रभावी बनाना भी अपेक्षित है।

## निष्कर्ष

निष्कर्षतः भारत का संविधान एक सशक्त लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें मानवाधिकारों से सम्बन्धित विस्तृत प्रावधान मौजूद हैं परन्तु यथार्थ जीवन में भारत में मानवाधिकारों की स्थिति ज्यादा सन्तोषजनक नहीं है हालांकि अन्य विकासशील देशों की तुलना में कुछ ठीक कही जा सकती है। संविधान में प्रावधानित मानवाधिकारों को उपलब्ध करवाने में न्यायपालिका एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सकारात्मक भूमिका रही है तथापि देश में आज भी मानवाधिकारों के प्रवर्तन में गरीबी, निरक्षरता, संसाधनों की कमी, जनचेतना का अभाव, पुलिस व प्रशासन की असंवेदनशीलता जैसी व्यावहारिक उलझनें अवरोध बनकर खड़ी हो जाती हैं। केवल संवैधानिक प्रावधानों एवं कानून बना देने से मानव अधिकारों की वास्तविक संप्राप्ति सम्भव नहीं है। मानवाधिकारों को साकार करने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, विधिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक सभी स्तरों पर अधिक गम्भीर और सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा मानवाधिकारों की सभी घोषणाएँ मात्र कागजी खानापूर्ति बनी रहेंगी। आज ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिनमें मानव अधिकारों के उपभोग और उनकी वैधानिक मान्यता स्वीकृत हो और उनकी सुरक्षा हो।

## सन्दर्भ सूची


1. राय, अरुण, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : गठन, कार्य और भावी परिदृश्य, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. 11
2. उपर्युक्त, पृ.सं. 11
3. शर्मा, सुभाष, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, षष्ठ संस्करण, 2017, पृ.सं. 29-30
4. राय, अरुण, पूर्वोक्त, पृ.सं. 17
5. श्रीवास्तव, सुधारानी, भारत में मानवाधिकार की अवधारणा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2016, पृ.सं. 23-24
6. अग्रवाल, डॉ. एच.ओ., मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, षष्ठ संस्करण, 2017, पृ.सं. 39
7. शर्मा, सुभाष, पूर्वोक्त, पृ.सं. 36-39
8. अग्रवाल, डॉ. एच.ओ., पूर्वोक्त, पृ.सं. 46
9. उपर्युक्त, पृ.सं. 246, 250 व 251
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 274-277